[अनुवाद]

श्री एम. सैल्वारासु (नागापट्टीनम) : माननीय प्रधान मंत्री के उत्तर के अनुसार, यनम तूफान प्रभावित क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि यनम, जो कि पांडिचेरी के अन्तर्गत आता है, को कितनी धनराशि दी जा रही है। यह बहुत ही छोटा क्षेत्र है।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री ने विशेषतः पांडिचेरी के बारे में जिक्र किया था।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी (खम्माम) : मैं तेलुगू में बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपको अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने अपने भाषण को भाषान्तर करने हेतु पहले से अनुवादक के लिए कह रखा है।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : नहीं, अब मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा।

दिनभर की चर्चा के बाद, प्रधानमंत्री ने कोई भी नई बात की घोषणा नहीं की है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रधान मंत्री हमारे साथ नहीं हैं। इसलिए, कृपया आंध्र प्रदेश को दी जा रही सहायता पर पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री बिलकुल आपके साथ हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वह हमारे साथ नहीं हैं। वह यहां हमारे साथ हैं।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : मेरी विनम्र सलाह यह है कि कृपया दिए गए वक्तव्य पर पुनर्विचार किया जाए। ऋण का भार बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री द्वारा घोषित धनराशि पर उनके द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा। कृपया आज कम से कम 50 करोड़ रुपए की और अधिक धनराशि की घोषणा करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या आप मुझे श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी जो कह रहे हैं उसको स्पष्ट करने की अनुमति देंगे? दी जा रही कुल धनराशि अनुदानों और ऋणों में विभक्त की गई हैं। सभी राज्य अपने आपको अत्यधिक ऋणी मानते हैं। वह सुझाव दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री कृपया कुल धनराशि, जो कि दी जा रही है, में ऋणों के भाग को कम करने और अनुदानों के भाग को बढ़ाने पर विचार करेंगे।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मुझे केवल एक ही टिप्पणी करनी है या सुझाव देना है। जब बड़ी संख्या में मकानों का पुनर्निर्माण या मरम्मत या नया निर्माण कराया जाएगा, तब क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि तूफान का सामना करने लायक कुछ व्यवस्थाएं की जायें?

यह सही है कि जहां पर बहुत तेज तूफान आता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। परन्तु एक कम तीव्रता वाले तूफान की स्थित में मकानों की सुरक्षा की जा सकती है। यह नई प्रौद्यागिकी को विकसित करने, नई सामग्री को प्रयोग में लाए जाने और पूरी तरह नष्ट हुए मकानों को नई जगहों पर बनाने का प्रश्न है। यदि उनको नई जगहों पर बनाना है जो उनको ऐसी जगहों पर बनाया जाना चाहिए जहां पर तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रभावी तूफान के आने पर उनके नष्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा नहीं रहे।

सभापति महोदय : क्या प्रधानमंत्री इन प्रश्नों में से किसी पर उत्तर देना चाहेंगे?

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : श्रीमान, मैं केन्द्रीय सहायता जो कि ऐसी परिस्थितियों में दी जाती है, के बारे में फिर से स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सूखे या बाढ या तूफान में से किसी से भी होने वाले नुकसान की मात्रा कुछ भी होने पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला धन एक अल्प धनराशि हुआ करती थी। केवल योजना सहायता दी जाती थी। केन्द्रीय सहायता मात्र एक अलप धनराशि होती थी। मेरे विचार से, नौंवे वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष बनाने की सिफारिश की है। तब तक यह गैर-योजना सहायता के अन्तर्गत केन्द्र से तदर्थ सहायता के रूप में दी जाती थी। भारत सरकार के पास जो भी धन उपलब्ध होता था उसमें से वह 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए जैसी राशियां दिया करते थे। मैं कुछ देर बाद इसका ब्यौरा दूंगा।

दसवें वित्त आयोग को सिफारिश के अनुसार आपदा राहत कोष में 1,197 करोड़ रुपए होंगे जिसमें से 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण भाग होगा। दसवें वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारिश में दर्शायी गई अधिकतम धनराशि राजस्थान को 179 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश को 124 करोड़ रुपए और गुजरात को 139 करोड़ रुपए है। मैं इस मामले में राजनीति नहीं लाना चाहता। प्रति वर्ष तीव्र बाढ़ों से बिहार को होने वाले नुकसान की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहां पर छः या सात नदियां है। यही स्थिति असम की है। बिहार के लिए यह केवल 51 करोड़ रुपए है। यह कैसे हो गया इन सब बातों को मैं उठाना नहीं चाहता हूं। सीमित रूप में, मैं केवल कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं...**(व्यवधान)** कृपया धैर्य रखिए। सभा में आन्ध्र की राजनीति को न लाइए। मैं इसके बारे में सुन चुका हूं। सदस्य कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं सभा का ध्यान एक पहलू पर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय आपने मुझसे पूछा है कि 1964 में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ और मई 1990 में क्या हुआ। मैं आपको ब्यौरा दूंगा। 1900 में नष्ट हुए मकानों की संख्या 13,96,000 थी। इस समय उनके आंकड़ों के अनुसार यह 6,41,000 है। मैं यह बताना चाहूंगा कि उस समय दी गई सहायता की धनराशि क्या थी। हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि यह सरकार इस मुद्दे के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस सरकार ने कतिपय मानवीय आधारों पर कुछ निर्णय लिए हैं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : राज्य सरकार के अनुसार उस समय होने वाले नुकसान का आंकलन 2,247 करोड़ रु. था। भारत सरकार की ओर से जो दल गया था उसने 168 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी जबकि क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 13,96,000 थी। जिसमें से, भारत सरकार के अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप ने 1990 की आपदा के सम्बन्ध में

केन्द्रीय राहत कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास उपलब्ध 96 करोड़ रुपये की कटौती करके राज्य सरकार को 167.54 की सहायता की सिफारिश की थी। कृषि मंत्रालय ने 81.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत का प्रस्ताव किया था। इसे अगस्त, 1991 में मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा गया था। इस पर निर्णय आस्थगित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल द्वारा 1992 में इस परिवर्तन के साथ सिफारिश की गई 31.5 करोड़ रुपए की सहायता में से 75 प्रतिशत को अनुदान समझा जाये और 25 प्रतिशत को ऋण समझा जाए। फिर भी, प्रकतत यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान से ज्यादा किसी भी अतिरिक्त सहायता के अनुदान पर वित्त मंत्रालय ने आपत्ति प्रकट की थी। मेरे माननीय साथी कहते हैं कि यह सरकार सहृदय नहीं है।

सभापति महोदय : श्रीमान मूर्ति जी कृपया व्यवधान न डालें। पहले प्रधानमंत्री को अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : सौतेले व्यवहार में हमने भाग नहीं लिया था।

श्री एच.डी. देवे गौड़ा : हमें इस मामले में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं इसके बारे में जानता हूं। मैंने 650 करोड़ रुपए का एक कुल पैकेज दिया है और इसके अलावा हम 331 करोड़ रुपये जारी करना चाहते हैं। और वह कहते हैं, कि हमें यह नहीं चाहिए। राज शेखर रेड्डी जी आपने 1,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। हम विश्व बैंक से मकानों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ के लिए सिफारिश कर चुके हैं। परन्तु राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग थी? राज्य सरकार ने आवास निर्माण के लिए 963 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस 1,000 करोड़ रुपए, जिसके लिए हमने विश्व बैंक से सिफारिश की है, के अलावा हम हुडको के साथ भी पहले ही कुछ कदम उठा चुके हैं। मैं यह ब्यौरा भी दे चुका हूं कि यह कितना है। हुडको ने 180 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 50 करोड़ रुपए अनुदान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 60 करोड़ रुपए आने की सम्भावना है। 93 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष है जिसे राज्य सरकार विधि सम्मत रूप से प्राप्त करेगी।

इसके अतिरिक्त, 113 करोड़ रुपए उपकर के रूप में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कहना कि खाद्यान्न खरीद के सम्बन्ध में हैं हमने यह निर्यण लिया है। यह सब मिलकर 650 करोड़ रुपए होते हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या विदेश मंत्री अफगानिस्तान पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम विस्तार से चर्चा कर चुके।

(व्यवधान)

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : हमारा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जा रहे वक्तव्य से सरोकार नहीं है।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने आपको स्पष्ट और बहुत संतोषप्रद उत्तर दिया है। आपकी राज्य सरकार ने केवल 900 करोड़ रुपये मांगे थे। उन्होंने 1000 करोड़ रुपये की सिफारिश की है।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है। यह उस सियार की कहावत की तरह है जो ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठा है और ताजमहल उसी के सिर पर गिर जाता है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक वैसी है। इसलिए वह वस्तुतः हाथ में भीख मांगने का कटोरा लेकर हर राज्य और हर संभव स्थान जा रही है। अतः राज्य सरकार की गंभीर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत....

सभापति महोदय : मैं नहीं मानता कि यह भीख मांगने जैसी स्थिति है। जब भी इस तरह की विपदायें आती हैं हर किसी को भटकना पड़ता है।

(व्यवधान)

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : कम से कम आवास के पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का भी हिस्सा है।

सभापति महोदय : श्री राजशेखर रेड्डी कृपया

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब माननीय विदेश मंत्री अफगानिस्तान के बारे में वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विदेश मंत्री बोल रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, एक मिनट जो भी विचार माननीय सदस्य राजशेखर रेड्डी ने व्यक्त किए मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहता हूं। सभी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति एक जैसी है। यह मत सोचिये कि आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है और अन्य राज्य वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं ...**(व्यवधान)** हम जानते हैं वह यह है। केन्द्रीय सरकार सहित ...**(व्यवधान)** पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इसे क्यों अस्वीकार किया गया? ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में अनावश्यक रूप से राजनीति करने की कोशिश मत कीजिये।

आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की। मैंने पहली बार इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण देश- राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं से अपील की जो सभी अखबारों में छपा। महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि तीन दिन के अन्दर मैं अपना एक महीने का वेतन भेज दूंगा और मैं यह कहना नहीं चाहता हूं। और मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता